न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 27/2021 (उदयपुर डिक्री)

1. अनिल पिता श्री प्यारचन्द महाजन, निवासी घोड़च, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजकुमार पिता श्री प्यारचन्द महाजन, निवासी घोड़च, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती दिलखुश पत्नी श्री मांगीलाल मण्डोत पुत्री श्री प्यारचन्द महाजन, निवासी खमनोर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती कमला पत्नी श्री गणपत कटारिया पुत्री श्री प्यारचन्द महाजन, निवासी देलवाड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती सीमा पत्नी श्री मोहनलाल वडालमिया पुत्री श्री प्यारचन्द महाजन, निवासी भाणुजा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..............अपीलान्टगण

बनाम

1. राजेश पिता श्री श्यामलाल शाह, निवासी 12, रूप जी बाड़ी, सेक्टर नंबर 13, उदयपुर (राज.)
2. प्यारचन्द पिता श्री रतनलाल महाजन, निवासी घोड़च, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राज्य जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.............रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव
दिनांक 22.02.2021 प्र.सं. 606/19

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री अजय सिंह हाड़ा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– सुश्री रिया शाह अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 3

———/———

निर्णय दिनांक 28–09–2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:38 IST
Reason: SelfAttested

का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा झालों का गुड़ा में आराजी नंबर 179 से 189, 194 से 198 कुल किता 16 रकबा 3.3500 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादीगण के स्वत्य एवं आधिपत्य की मौरूसी भूमि होकर वादीगण प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा निहित है तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का है। उक्त आराजियात वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जो मानसिक रूप से बीमार होकर विगत 10 वर्षो से उनका इलाज चल रहा है, जिसका नाजायज लाभ उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ने कुलिया वादग्रस्त आराजियात का नुमाईशी विक्रय पत्र तैयार का पंजीयन करवा लिया, जो वादीगण के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन है। अतः वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का मौरूसी हित घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में अंकन किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 4 तनकियात कायम की गयी एवं उभयपक्षों की बहस सुनकर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 22-02-2021 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04-06-2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता रिया शाह उपस्थित हुई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्टगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर उसके साथ न्यायिक नजीर 2011 (12) आर.आर.टी. पेज 788 प्रस्तुत की गयी एवं इसी प्रकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से भी लिखित बहस मय राजस्व मण्डल के निर्णय व न्यायिक नजरी के साथ प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजियात मौरूसी होने से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को उसे विक्रय करने का अधिकार नहीं था, जो अपीलान्टगण के हक तक शून्य होने से उसे दीवानी न्यायालय से निरस्त कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वादग्रस्त के क्षेत्राधिकार बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तनकी भी कायम नहीं की गयी है, फिर भी इस पर [illegible] कर निर्णय पारित कर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा शून्य विक्रय पत्र को [illegible] मानने में भारी भूल की

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:38 IST
Reason: SelfAttested

गयी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्टगण द्वारा वाद में चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा द्वारा लोक अदालत में पूर्ण सुनवाई के बाद दिनांक 13–05–2016 को वादी का वाद खारिज किया गया है, जिसकी अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के यहां होने पर बाद सुनवाई दिनांक 31–01–2017 को निर्णय पारित कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया, जिस पर पुनः अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई की गयी, जिसमें रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 ने रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 2 के नाम और कई कृशि भूमियां एवं जायदाद की जानकारी न्यायालय को दी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई के बाद दिनांक 02–04–2018 को वाद निरस्त किया गया, जिसकी निगरानी अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की गयी, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 28–05–2019 को अपीलान्ट की निगरानी खारिज कर दी गयी, लेकिन अपीलान्ट द्वारा उक्त तथ्यों को आप न्यायालय से छुपाया गया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की गयी है ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय ने निरस्त नहीं करवा लेता तब तक राजस्व न्यायालय में वाद नहीं चल सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रद ि 2 जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056 में विवादित आराजियात रतनलाल पिता भारमल महाजन के नाम अंकित है तथा प्रद ि 3 अनुसार विरासत से रतनलाल के बजाय प्यारचन्द प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई हैं। तत्प चात् खातेदार प्यारचन्द द्वारा विवादित आराजियात का रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 18–07–2003 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 राजे ा कुमार भााह के नाम किया गया है एवं प्रद ि 1 जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 में विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक अपीलान्ट/वादीगण राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार दाद पाने के अधिकारी नहीं हैं। अपी[illegible] विवादित आराजियात मौरूसी होकर उनका भी 5/6 हिस्सा है एवं [illegible] मानसिक रूप से अस्वस्थ होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 ने बहला–फुसला कर उक्त विक्रय पत्र निश्पादित करवाया है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 की मानसिक स्थिति वक्त विक्रय ठीक नहीं हो, इस सम्बन्ध में उनके द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर एवं सुनकर तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीर 2011 (12) आर.आर.टी. पेज 788 प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से कारण लागू नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–02–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:38 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

अनिल पिता श्री प्यारचन्द महाजन, निवासी घोड़च, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **राजे ा पिता श्री भयामलाल भााह, 12, रूप जी की बाड़ी, सेक्टर नंबर 13, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**27 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **बड़गांव** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**22**.....माह.....**02**.....**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**28**.....माह.....**09**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अजयसिंह हाडा** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**सुश्री रिया भााह**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–02–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**28**.....माह.....**09**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:38 IST
Reason: SelfAttested